किफायती दरों में अपना विज्ञापन प्रकाशित करें और अपने व्यापार को और ऊंचाईयों पर ले जाएं।
संपर्क करें:
7018631199

www.himalayanupdate.com 7018631199 समाचार पत्र Postal Regd no: HP/128/SML/2020-22

अक्टूबर, 2023

आपकी आवाज़

हिमालयन अपडेट

RNI-HPHIN/2017/73579

अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में हमें लिखें।
himalayanupdate@gmail.com
7018631199

शुक्रवार 03.11.2023 पृष्ठ: 01, मूल्य: 1 रू. शिमला से प्रकाशित advthimalayanupdate@gmail.com

टी जी टी पदनाम वापिस लेने की न सोचे विभाग और सरकार

शिमला/हिमालयन अपडेट
हिमाचल प्रदेश राजकीय भाषाई अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, सचिव अर्जुन सिंह,महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा देवी ,संस्थापक नरेन्द्र कुमार शर्मा,संयोजक धनवीर सिंह तथा सभी जिलों के प्रधानों और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ - साथ शिक्षा विभाग से मांग की है कि दिनांक 01नवंबर 2023 को शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जो रिव्यू बैठक हुई है, उसके हवाले से 2 नवम्बर 2023 के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में शिक्षा मंत्री के छायाचित्र के साथ जो टी जी टी पदनाम को अगली कैबिनेट में वापिस लेने की खबर छपी है ;उसको विभाग पुनः दुरुस्त करें। हेमराज ठाकुर ने बताया कि विभाग शिक्षा मंत्री को इस मामले में गुमराह न करे। उन्होंने बताया कि यह मामला मार्च 2022 के बजट सत्र में विधिवत पारित हुआ है,जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कैबिनेट में तो यह मामला उसके बाद आया है। अब पूर्व सरकार बनाम वर्तमान सरकार में इस मामले को विभाग न उलझाए । ऐसा करने से एक तो हिन्दी और संस्कृत के प्रति सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य विभाग कर रहा है और साथ में माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित आदेशों की भी तोहीन सरकार द्वारा करवा रहा है। ऐसा करने से कर्मचारी हितैषी सरकार अपने चरित्र पर व्यर्थ में ही दाग लगाएगी।

हेमराज ने बताया कि खबर के हवाले से पता चला है कि वापिस लेने का आधार यह बनाया जा रहा है कि हिन्दी और संस्कृत शिक्षकों ने मांग ही मात्र पदनाम की की थी। वित्त लाभ तो इन्होंने मांगा ही नहीं था। इसलिए पूर्व सरकार ने इनको यह पदनाम इसी आधार पर कैबिनेट में दिया था और अब वर्तमान सरकार उसी आधार पर कैबिनेट में यह फैसला वापिस भी लेगी। इस पर संघ का कहना है कि विभाग, वह मांग पत्र जिसने उन्हें दिया है,उनका पदनाम वापिस ले न कि अन्यों का। हेमराज ने बताया कि हमने हर बार टी जी टी हिन्दी और संस्कृत पदनाम सभी वित्तीय और पदोन्नति लाभों सहित मांगा है,जिसके संघ के पास प्रमाण भी है। आगे विभाग ने क्या प्रारूप बनाया,वह विभाग के विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी बताया कि 23 मार्च 1989 की वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग कई L T और OT को योग्यता पूर्ण करने पर TGT का वेतनमान दे चुका है तथा वह अभी भी कोर्ट से सबको मिल रहा है। ऐसे में 20 अगस्त 2022 की पदनाम वाली निजी वेतनमान वाली अधिसूचना इ ी और ळएळ पास छळ और शास्त्रियों पर पूर्ण रूप से लागू होती है। इसमें 4 सितम्बर 2023 के 2171/2023 के तहत हुए कोर्ट ऑर्डर में भी मोहर लग चुकी है। अतः संघ ने सरकार और विभाग से स्पष्ट मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को हिन्दी और संस्कृत शिक्षकों के सन्दर्भ में अक्षरशः लागू करें।अन्यथा यह माननीय उच्च न्यायालय और हिन्दी तथा संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा अपमान होगा,जिसे किसी भी सूरत में आजाद भारत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हेमराज ने यह भी बताया कि टीजीटी हिन्दी और संस्कृत में आने वाले सभी शिक्षक अन्य ळऋळ शिक्षकों के समकक्ष योग्यता रखते हैं तथा वही मापदण्ड इनको नौकरी प्रदान करने के लिए विभाग अपना रहा है जो अन्य श्रेणियों के ळऋळ वर्ग पर लागू होते हैं। फिर न जाने ळऋळ के समकक्ष वित्त और पदोन्नति लाभ देने से विभाग क्यों कतरा रहा है? हेमराज ने यह भी बताया कि जिन कक्षाओं को अन्य TGT पढ़ाते हैं, उन्हीं को टी जी टी हिन्दी और संस्कृत भी पढ़ाते हैं। फिर लाभों में असमानता क्यों? हेमराज ने बताया कि यदि सरकार टी जी टी हिन्दी और संस्कृत पदनाम को विभाग की सलाह पर वापिस लेती है तो ऐसे में पूर्व सरकार द्वारा दिए गए प्रवक्ता स्कूल न्यू तथा स्वास्थ्य विभाग में किए पदनामों के बदलाव की प्रक्रिया भी इस कड़ी में वापिस लेगी और आने वाली सरकारें इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को वापिस लेगी। यह किसी भी सूरत में न्यायसंगत नहीं है।इसलिए सरकार और विभाग अपने इस कदम को आगे बढ़ाने के बजाए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करें।

वर्तमान कांग्रेस सरकार राजनीतिक विद्वेष की भावना से बदल रही है भाजपा सरकार के निर्णय : बिंदल

शिमला/हिमालयन अपडेट
वर्तमान कांग्रेस की सरकार, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लिए गए सभी अच्छे निर्णयों को राजनीतिक विद्वेष की भावना से बदल रही है जिसका बड़ा दुष्परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 बिन्दल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कही।

उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बंद करना, पटवार सर्कल, तहसील ऑफिस, पी0डब्ल्यू0डी0, आई0पी0एच0, बिजली बोर्ड के दफ्तर, एस0डी0एम0 के दफ्तर और कॉलेज इत्यादि को बंद करना केवल और केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लिए गए अदूरदर्शी निर्णय है।

डॉ0 बिन्दल ने कहा कि इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बंद करने का निर्णय लिया है जो कि पूरी तरह से राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर लिया गया निर्णय है।

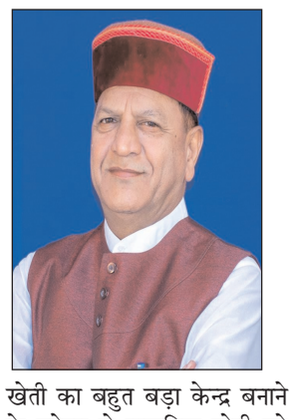

हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा केन्द्र बनाने के उदेश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरूआत की गई और हजारों किसानो ने प्रदेशभर में इसका प्रशिक्षण लिया और प्राकृतिक खेती करनी शुरू की जिसके अच्छे परिणाम हिमाचल में आये। किसान को समृद्ध बनाने वाली इस योजना को जहां जयराम ठाकुर सरकार ने शुरू किया वहीं महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का बड़ा योगदान रहा और तो और हिमाचल प्रदेश के कार्यों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्तर पर माननीय संसद सदस्यों को आचार्य देवव्रत जी ने सम्बोधित किया। इस तकनीक से बनाई गई खाद का उपयोग कई देशों के विभिन्न हिस्सों में कामयाबी से किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार द्वारा इस महत्वकांक्षी योजना को बंद करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय की कडे. शब्दों में निंदा करती है।

डॉ0 बिन्दल ने कहा कि गोबर, गौ मूत्र और गुड़ से निर्मित खाद सदैव ही गुणकारक रहेगी और इस प्रकार तैयार की गई फसलें मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देंगी।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने प्रधान ग्राम पंचायत चूहन को कारण बताओ नोटिस किया जारी

चंबा/हिमालयन अपडेट
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने विकासखंड भटियात के तहत प्रधान ग्राम पंचायत चूहन पवन कुमार को वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने पद के दुरुपयोग को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओं नोटिस में पवन कुमार को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में की गई कोताही के फ ल स्वरुप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 की उप धारा एक के तहत प्रावधानों के अधीन प्रधान पद से हटाए जाने की वांछित कार्यवाही का उल्लेख भी किया गया है। जारी

नोटिस के अनुसार उन्हें पत्र प्राप्ति के सात दिन की समयावधि के भीतर अपना उत्तर देने को कहा गया है। इस समयावधि में उनके द्वारा उत्तर न दिए जाने की अवस्था में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाने को कहा गया है। उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी एसडीएम भटियात द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य प्रधान पवन कुमार के विरुद्ध सिद्ध पाए गए हैं। इनमें आरोप संख्या एक के तहत एम्बुलेंस रोड मिहणू से पंचायत घर, संख्या दूसरे के तहत एम्बुलेंस रोड मिहणू से गांव चूहन तथा आरोप संख्या तीसरे के तहत एम्बुलेंस रोड घराट नाला से टरवार्ड ग्राम पंचायत चूहन से संबंधित कार्यों में अनियमिताएं पाई गई हैं।

वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए विशेष अभियान 4 व 5 को

ऊना/हिमालयन अपडेट
जिला ऊना के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर 4 और 5 नवंबर को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक सभी छूटे हुए व पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में दर्ज करवाने हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपाायुक्त राघव शर्मा ने दी। डीसी ने बताया कि अभियान के दौरान जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने से किसी कारणवश छूट गए या जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम संबंधित मतदान केंद्र में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता अपने

मतदान केंद्र पर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करने के साथ मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने के लिए दावे/आक्षेप सम्बंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र होना ही किसी व्यक्ति को मताधिकार की गारंटी नहीं देता बल्कि नागरिक का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना भी अनिवार्य है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 4 व 5 नवंबर को अपने-2 मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अपने नाम की जांच कर लें।

शिक्षा मंत्री ने किया गिरी गंगा सड़क का निरीक्षण

जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का दिया आश्वासन

शिमला/हिमालयन अपडेट
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गत दिवस को जुब्बल उपमण्डल में खड़ा पत्थर क्षेत्र में 6 करोड़ 40 लाख रुपये से निर्मित होने वाली गिरी गंगा सडक के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और बताया कि इस सडक से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को पर्यटन व्यवसाय के माध्यम से लाभ मिलेगा और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।इसके उपरांत उन्होंने 80 लाख रुपये से निर्मित होने वाले राजकीय उच्च विद्यालय खड़ा पत्थर के भवन

का शिलान्यास किया और अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार घरद्वार पर वंचित वर्गों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही राज्य में शिक्षकों के 6 हजार पदों को भरा जाएगा और इस नीति से दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।

शिक्षा मंत्री ने जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का आश्वासन दिया और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन भी दिया। इसके उपरांत शिक्षा मंत्री ने कोटखाई उपमण्डल की ग्राम पंचायत गरावग में गिरी नदी पर निहारी-गरावग सम्पर्क मार्ग पर 60 लाख रुपये से निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास किया और दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू किसानों एवं बागवानों के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं और बागवानों के हितों में निर्णय ले रहे हैं, जिससे लघु एवं सीमांत बागवानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ राज्य में कंधे से कंधे मिलाकर दुख की घड़ी में खड़ी रही और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई, जो पूर्व में 1 लाख 30 हजार रुपये थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आपदा राहत मैनुअल में संशोधन कियाए जिससे मानवीय दृष्टिकोण के तहत आपदा ग्रस्त लोगों को राहत प्रदान की गई। रोहित ठाकुर ने बताया कि जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे सम्पर्क मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा।
और ग्रामीण आर्थिकी को संबल मिलेगा।

गांव सिहाल के पास अज्ञात वाहन ने राहगीर को मारी टक्कर

फतेहपुर/ पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पडती पंचायत मनोह सिहाल के गाँव सिहाल के पास देर शाम किसी अज्ञात वाहन ने सडक किनारे चल रहे राजगीर लाल चन्द सपुत्र नानक चन्द निवासी बनगढ को जबरदस्त टक्कर मारकर घायल कर रफुचकर होने मे कामयाब हो गया प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त व्यक्ति किसी निजी काम हेतु व सिहाल मे गया हुआ था कि पैदल चल रहे उपरोक्त व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। व वहा से फरार हो गया घायल को परिजन सिविल अस्पताल फ तेहपुर ले गये वहाँ पर प्राथमिक उपचार के वाद स्थिती को गंभीर देखते हुए उसे नूरपुर ले जाया गया नूरपुर हॉस्पिटल से फिर परिजन पठानकोट वालो ने पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर कर दिया

पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक: चौहान

ऊना/हिमालयन अपडेट
दीपावली पर्व पर ऊना शहर में कानून व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने एमसी ऊना, संतोषगढ़ व मैहतपुर-बसदेहड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण न करने दें। यदि कोई व्यापारी वर्ग अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। एसडीएम ऊना ने

कहा कि पुलिस विभाग सुनिश्चित करे कि रेड लाईट चौंक, पुराना बस अड्डा से हमीरपुर रोड की ओर अनाधिकृत गाडियां न खड़ी की जाएं, ताकि आम जनमानस के लिए यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि एमसी ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा व संतोषगढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं।

नगर परिषद ऊना के तहत पटाखों की बिक्री के लिए रामलीला ग्राउंड ऊना, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के तहत एमसी कार्यालय मैहतपुर के सामने ग्राउंड में तथा नगर परिषद संतोषगढ़ के अंतर्गत राम लीला मैदान संतोषगढ़ को चिन्हित किया है। इस अवसर पर तहसीलदार हुसन चंद, बीडीओ केएल वर्मा, नायब तहसीलदार मैहतपुर-बसदेहडा इकबाल सिंह, राज्याध्यक्ष व्यापार मंडल एसके शर्मा, एसएचओ ऊना मान सिंह, कार्यकारी अधिकारी मैहतपुर वर्षा चौधरी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

'वाटर सेस मामले पर केंद्र सरकार का फैसला एक तुगलकी फैसला'

हमीरपुर/हिमालयन अपडेट
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिला हमीरपुर के प्रवक्ता एवं स्टेट बार काउंसिल सदस्य रोहित शर्मा एडवोकेट ने कहा कि वाटर सेस मामले पर केंद्र सरकार का फैसला एक तुगलकी फैंसला है और इस तुगलकी फ रमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी राज्य का आंतरिक विषय है और वाटर सेस लगाने में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पूरी तरह से सक्षम है। केंद्र सरकार चाहती है प्रदेश में चमड़े के सिक्के चलाना। इस मुद्दे पर हिमाचल सरकार को जनता का पूरा समर्थन हासिल है।

इस मामले में केंद्र सरकार का रवैया बिल्कुल अनुचित है। पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर इस तुगलकी फरमान का समर्थन करके ये जता रहे हैं कि वे आम हिमाचली के प्रति कितने संवेदनहीन हैं। जब राष्ट्रीय आपदा का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार विधानसभा सदन पटेल पर लाई थी तब इन्हीं जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर मानवता को शर्मसार किया था। पूर्व में भी जब वे मुख्यमंत्री थे तो प्रतिदिन आम हिमाचली आंदोलनरत था। जनता भ्रष्टाचार से बुरी तरह त्रस्त थी। वर्ष 2023 में प्रदेश में आई आपदा में भी केंद्र सरकार ने एक फू टी एक फू टी कौड़ी की मदद नहीं की और ना ही प्रदेश भाजपा मोदी के चरणचुंबक नेताओं ने केंद्र से कोई मदद की गुहार लगाई। बर्ष 2014 से लेकर आज तक मोदी सरकार से हिमाचल को सिर्फ जुमले ही मिले हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की नीतियों ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कड़े फैसले लेकर फिर से प्रदेश की आर्थिक की को पटरी पर लाने में प्रयासरत है ।आपदा के समय में सुक्खू सरकार ने जनता के सहयोग से एवं अपने दृढ़ निश्चय से आपदा पीड़ित हर व्यक्ति तक मदद पहुंचा कर राहत प्रदान की है।

एसडीएम बंगाणा ने ग्रामीणों में भरा जोश

ऊना/हिमालयन अपडेट
नशा मुक्त ऊना अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए हर घर दस्तक अभियान बुधवार को ग्राम पंचायत मोमन्यार पहुंचा। एसडीएम बंगाणा मनोज कुमार ने हर घर दस्तक अभियान के दौरान खुद घर-घर जाकर पूरी पंचायत टास्क फोर्स में जोश भरा। एसडीएम बंगाणा ने कहा कि पूरा हर कर्मचारी इस अभियान में पूरा सहयोग करेगा, चाहे वो ब्लॉक

लेवल की बात हो या पंचायत लेवल की, ताकि हर घर नशे के खिलाफ जागरुक हो सके। अगर किसी घर में नशे की वजह से कोई दिक्कत आती है, तो वो नशा मुक्त ऊना अभियान के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर किसी ने नशे से बीमार व्यक्ति का इलाज करवाना हो, तो हर ब्लॉक में दो हॉस्पिटल नशे से बीमार व्यक्तियों का इलाज करेगा और यह सुविधा बडी जल्दी हॉस्पिटल में उपलब्ध हो रही है। इसके लिए डॉक्टर को स्पेशल ट्रैनिंग करवाई गई है। इस मौके पर नशा मुक्त ऊना अभियान के मुख्य समन्वयक सतपाल रणावत, पंचायत प्रधान अंजना, उपप्रधान इकबाल सिंह, सुरेश कुमार व अजय सहित अन्य उपस्थित रहे।

आपदा राहत पर तीखी बयानबाजियों का दौर

शिमला/हिमालयन अपडेट
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है।उन्होंने कहा की विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। जय राम ठाकुर खुद पांच साल हेलीकाप्टर मे घूमते रहे। आपदा मे जिन जिन लोगों ने भी मुआवजे के लिए आवेदन किया हे उनको लगभग अभी तक तीस करोड़ रुपए प्रदेश सरकार पहली किश्त मे आवंटित कर चुकी है और आगे भी ये सहायता राशि आपदा से प्रभावित लोगों को देते रहेंगे।